C.N.R.No- UPLL100011582020

न्यायालय –अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, ललितपुर।

मु. नं.–965/2020

सरकार बनाम हरी सिंह आदि

मु.अ.सं.–118/2020
धारा –323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर।

आरोप

मैं, नरेश कुमार दिवाकर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, जिला ललितपुर मामले के विचारण हेतु आप अभियुक्तगण हरी सिंह, सिताराम, सोबरन, अमर सिंह पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं–

1– यह कि दिनांक 17–06–2020 को समय करीब 09 बजे दिन, अन्तर्गत स्थान खेत वादी बहद गनेशपुरा गंगचारी, थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर में आप लोगों ने वादी मुकदमा हनुमत व उसके लड़के की लाठी–डण्डों से मारपीट कर व चोटें कारिक कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा हनुमत की मारपीट, कर फ्रैक्चर कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 325 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके लड़के को बुरी–बुरी गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने इस प्रकार का अपराध किया जो कि भा०दं०सं० की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके लड़के को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने इस प्रकार का अपराध किया जो कि भा०दं०सं० की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको विनिर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपो के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक 15.07.2024

(नरेश कुमार दिवाकर)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महरौनी, ललितपुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक 15.07.2024

(नरेश कुमार दिवाकर)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महरौनी, ललितपुर।

Digitally signed by NARESH KUMAR DIWAKARA
Date: 2024.07.16 12:06:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court